Form No:4430

Office of the District Basic Education Officer
PRATAPGARH

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **SARASWATI VIDYA MANDIR,LALGANJ PRATAPGARH** is provisionally recognized for Primary(class 1 to 5).The Recognition number alloted to SARASWATI VIDYA MANDIR is **PRA09433957406.** The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	Valid From:28-07-2025To:28-07-2026(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	New
4.School Type	Primary School(1 to 5)
5.Recognition No.	PRA09433957406
6. Medium	English

DATE:- 28-07-2025

PLACE:- PRATAPGARH

District Basic Education Officer

Digitally signed by BHUPENDRA SINGH
Date: 2025-07-28 15:22:58
Reason: For Digital Signature
Location: PRATAPGARH

Digitally signed by SHIVA KANT OJHA
Date: 2025.07.31 15:44:19 +05:30
Reason: reason
Location: location

दिशा-निर्देश

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

PRATAPGARH

सेवा में ,

प्रबंधक

SARASWATI VIDYA MANDIR

LALGANJ PRATAPGARH

PRATAPGARH

पत्रांक-बेसिक/मान्यता/ /2020-21 दिनांक :- 30/Jul/2025

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धरा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए अनंतिम मान्यता प्रमाण-पत्र |

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार /निरिक्षण की प्रति एवं मान्यता समिति के निर्देश से में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2020-21 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्राथमिक(I - V) स्तर अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम (अस्थायी) मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ |

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमे किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/सबंधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है |

2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) तथा नियमावली 11 के उपबंधों का पालन करेगा |

3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा |

4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायगा | ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा |

5. सोसाइटी /विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा |

6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और व अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-

7. (1)- प्रवेश दिए गए किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा |

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा |

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगा |

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गए

अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा |

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा |

(6) अध्यापकों की भर्त्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित यथा न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक , जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हो, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे |

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेगें |

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्य के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा |

9.विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा |

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 2474

कुल निर्मित क्षेत्रफल-7455

क्रीड़ास्थल- नहीं

कक्षाओं की संख्या- NaN

प्रधानाध्यापक, कार्यालय एवं स्टाफ के लिए कक्षाओं की संख्या- 1,1,1

पुस्तकालय /वाचनालय कक्षाओं की संख्या- 1

बालक/बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की संख्या- 2

पेयजल सुविधा की संख्या- 30

बाधारहित पहुँच – हाँ

अध्यापन पठान सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/काष्ठोपकरण/विज्ञानं सामग्री की उपलब्धता- हाँ

10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएगी।

11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।

12. विद्यालय भवनों या अन्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

13. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक-**PRA09433957406** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट या सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिस्खा निदेशक /जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेंशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सततअनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।

के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये |

17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये |

18. विद्यालय /संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार यू-डाइस + से सम्बंधित सूचनाएं/आंकड़ें भरना अनिवार्य होगा |

19. शासनदेश दिनांक 11.1.2019 एवं 29.06.2020 में उल्लिखित समस्त निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चत किया जाये | इस सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि मान्यता पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्राजातों में भविष्य में कोई भी तथ्य गोपन / कूटरचना प्रकाश में आती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के साथ ही विद्यालय प्रबंधक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी | जिसके लिए विद्यालय प्रबंधतन्त्र स्वयं उत्तरदायी होगा |

कार्यालय–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,प्रतापगढ

पत्रांक / मान्यता / 31442 / 2025–26 दिनांक 24/10/2025

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ''सरस्वती विद्या मन्दिर लालगंज प्रतापगढ़ को सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) चतुर्थ मण्डल,इलाहाबाद के पत्रांक / शिविर / ''अ''श्रेणी मान्यता / 2544–80 / 97–98 दिनांक 14–08–97 द्वारा जूनियर हाई स्कूल स्तर(कक्षा 6 से कक्षा 8 तक) स्थायी मान्यता प्रदान की गयी है।

24/10/25

(भूपेन्द्र सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रतापगढ़

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रतापगढ़

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),
चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद

सेवा में,

प्रबन्धक,
1- श्री गाजी सिंह स्मारक जूनियर हाई स्कूल,
कटियारी, चकिया, रसईपुर, इलाहाबाद
2- श्री स्वामी विवेकानन्द स्मा0पू0मा0विद्यालय,
सेरोंधा, होलागढ़, इलाहाबाद
3- बाल विद्या मन्दिर पू0मा0बालिका विद्यालय,
सड़वा कालोनी, टी0एस0एल0, नैनी, इलाहाबाद
4- मोइउद्दीन मेमो0उ0प्रा0विद्यालय,
हरसुर, महरौड़ा, सोराम, इलाहाबाद
5- सावित्री शिशु सदन जू0हा0स्कूल,
चकदाउद नगर, नैनी, इलाहाबाद
6- सरस्वती शिक्षा निकेतन उ0प्रा0विद्यालय,
कहा करमा, इलाहाबाद
7- श्री देव प्रयाग सिंह जू0हा0स्कूल, म्योहर,
कौशाम्बी
8- किसान ल0मा0वि0,
गोपालापुर, झींगुर, बाबागंज, प्रतापगढ़
9- मोतीलाल कैसरवानी ज0मा0वि0,
पीथीपुर, कुण्डा, प्रतापगढ़
10- गौतम बुद्ध जू0हा0स्कूल, मऊदारा (मौर्य नगर),
कुण्डा, प्रतापगढ़
11- आचार्य देवीदीन आदर्श पू0मा0विद्यालय,
पीथीपुर कुण्डा, प्रतापगढ़
12- सरस्वती विद्यामन्दिर, लालगंज,
प्रतापगढ़
13- शिवराज पू0मा0विद्यालय,
देवापुर, जेठवारा, प्रतापगढ़
14- स्व0 किशोरी लाल ल0मा0विद्यालय,
धर्मनगर, झींगुर, कुण्डा, प्रतापगढ़
15- डा0 श्याम सुन्दर ल0मा0विद्यालय, गजरिया पट्टी,
प्रतापगढ़
16- आर0पी0 बालिका जू0हा0स्कूल,
जसरामऊ, प्रतापगढ़
17- जनहितकारी पू0मा0विद्यालय,
सुजाफरपुर, फतेहपुर

- - - - - - - - - - - - - - - (क्रमशः - - - 2)

18- शहीद भाल्टा सिoनुसरत हुसैन जूoहाoस्कूल,
कोड़ा, जहानाबाद, फतेहपुर

19- श्री स्वामी पथिक जनकल्याण पूoमाoविद्यामन्दिर,
बकेवर, फतेहपुर

20- स्वामी ज्ञानानन्द जूoहाoस्कूल,
कुसुम्भी, फतेहपुर

21- श्री कृष्ण विद्यामन्दिर जूoहाoस्कूल, पूरेभगला, भिटौरा,
फतेहपुर

22- नाज जूoहाoस्कूल, सैरायाँ,
फतेहपुर

23- सरस्वती विद्यामन्दिर जूoहाoस्कूल, चौक,
फतेहपुर

पत्रांक/शिविर/"अ"श्रेणी मान्यता/2544 - 80 /97-98 दिनांक:-14-8-97

विषय:- अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) को "अ"श्रेणी की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासनादेश संख्या 2681/15-6-95-18 एस0(7)/89 दिनांक 18-1-96 के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर गठित समिति की बैठकों में लिये गए निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक "अ" श्रेणी की मान्यता इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि :-

1- विद्यालय में परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायगी और न पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा ;

2- विद्यालय के प्रबन्धक का दायित्व होगा कि वह अधिनियमों/नियमतालिका एवं परिषद द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विधि पूर्ण निर्देशों का पालन करें ।

3- शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालय की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जाय जिसे डाकघर में या अनुसूचित बैंकों में जमा किया जायेगा । विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नही किया जायेगा ।

4- कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने प्रत्येक अध्यापक या कर्मचारी को वही वेतनमान, मँहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मँहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान अर्हता वाले अध्यापकों व कर्मचारियों को दिए जाँय ।

(क्रमशः ——3)

5– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था अथवा कोई कक्षा अथवा कोई सेक्शन न बन्द किया जायेगा और न रोका जायगा, न समाप्त किया जायेगा और न स्थानान्तरित किया जायेगा और न खोला जायेगा।

6– विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी होगी ।

7– विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है तथा वह विभाग के नियमों और समय-समय पर दिए गए निर्देशों और आदेशों का पालन करेगा ।

8– भविष्य में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति न की जाय ।

9– यथा समय प्रबन्ध समिति का नवीनीकरण कराया जाय ।

शासकीय /विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में समिति को इस निर्णय पर पुनः विचार का अधिकार सुरक्षित रहेगा । तथा प्रदत्त मान्यता के प्रत्याहरण के लिए बेसिक शिक्षा अधिनियम की धारा-12क अनुसार कार्यवाही वांछित होगी

भवदीय

श्रीमती §प्रतिमा मिश्रा§
मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक§बेसिक§,
चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद

पृ0सं0/शिविर/"अ"श्रेणी की मान्यता/2544 – 80 /97-98 उसी तिथि को

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1– अपर शिक्षा निदेशक§बेसिक§, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद
2– संयुक्त शिक्षा निदेशक, चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद
3– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद
4– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद/प्रतापगढ़/फतेहपुर
5– लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, इलाहाबाद/प्रतापगढ़/फतेहपुर
6– उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद/प्रतापगढ़/फतेहपुर
7– कार्यालय गार्ड फाइल ।

श्रीमत[redacted]तिमा मिश्रा§
मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक§बेसिक§,
चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद

PRINCIPAL
Saraswati Vidya Mandir
Lalganj - Pratapgarh UP

MANAGER
Saraswati Vidya Mandir
Lalganj - Pratapgarh UP